महाराष्ट्र राज्य और अन्य

बनाम

मानसिंह सूरजसिंह पदवी और अन्य

(The State of Maharashtra and Others

Vs.

Mansingh Surajsingh Padvi and Others)

(14 फरवरी, 1978)

(मुख्य न्यायाधिपति एम० एच० बेग, न्यायाधिपति पी० एन० भगवती, बी० आर० कृष्ण अय्यर, एस० मुर्तजा फ़ज़ल अली, पी० एन० सिंघल, जसवन्त सिंह और वी० डी० तुलजा पुरकर)

संविधान—अनुच्छेद 31-ख और नवम अनुसूची—महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा जारी की गई तारीख 24 फरवरी, 1962 वाली अधिसूचना और पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961—उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिसूचना और विनियम को अनुच्छेद 19(1)(च) का अतिक्रमण करने वाले होने के कारण अभिखंडित कर दिया जाना—तत्पश्चात 1961 के विनियम का नवम् अनुसूची में सम्मिलित किया जाना—नवम् अनुसूची में सम्मिलित कर लिए जाने के पश्चात् उक्त विनियम की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती।

महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी खानदेश जिले में कबीलों के मुखियों की कुछ सम्पदाएं हैं और ये सम्पदाएं संविधान की पंचम अनुसूची के पैरा 5 के साथ पठित अनुच्छेद 244 के अधीन अनुसूचित क्षेत्र थीं और उन्हें गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 41 के अधीन भागतः अपवर्जित क्षेत्र माना गया था। प्रथम प्रत्यर्थी इन सम्पदाओं में से एक सम्पदा का स्वामी था और राज्य के राज्यपाल ने 1935 के अधिनियम की धारा 92 के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में 1949 में एक

विनियम बनाया जो प्रथम प्रत्यर्थी की सम्पदा सहित इन सम्पदाओं को लागू होता था ? बाम्बे लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1879 की धारा 3 के द्वारा कतिपय उपान्तरणों के अधीन इन सम्पदाओं को लागू किया गया था और विनियम 4 का प्रभाव केन्द्र या राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित सभी अन्य अधिनियमों को इन सम्पदाओं पर लागू करना था जो वेस्ट खानदेश के ज़िले के अन्य भागों में मेहवासी थे जिसमें बाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड ऐक्ट, 1948 भी सम्मिलित था। बाम्बे लैण्ड रेवेन्यू कोड का इन सम्पदाओं को लागू होने का परिणाम यह हुआ कि प्रथम प्रत्यर्थी उस सम्पदा के कृषि भूमियों का अधिभोगी हो गया और वे व्यक्ति जो उसके अधीन भूमियों पर खेती कर रहे थे उसके अभिधारी हो गए। और 1948 के अधिनियम को लागू होने के कारण प्रथम प्रत्यर्थी और उसके अभिधारियों के बीच सम्बन्ध 1948 के अधिनियम द्वारा शासित था। 1948 के अधिनियम को 1956 के प्रथम अधिनियम संख्या 13 द्वारा संशोधित कर दिया और धारा 32(ज) (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने अस्थायी अभिधारियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमियों के लिए उनके द्वारा संदेय क्रय मूल्य समझे जाने वाला न्यूनतम क्रय मूल्य नियम करते हुए 1957 में एक आदेश पारित किया। इसके पश्चात् फरवरी, 1962 में राज्य के राज्यपाल ने संविधान की पंचम् अनुसूची के अधीन पैरा 5(1) में एक अधिसूचना जारी की और इस अधिसूचना के द्वारा 1948 के अधिनियम में धारा 88-ख जोड़ दी। इस अधिसूचना का प्रभाव उस सम्बन्ध को वापिस लेना था जो प्रथम प्रत्यर्थी और उसके अभिधारियों के बीच 1 अप्रैल, 1957 से अव्यवहित पूर्व था जिससे कि अभिधारी उनके द्वारा धारित भूमियों के समझे जाने वाले क्रेता बन सके थे और प्रथम प्रत्यर्थी ऐसी भूमियों का स्वामी बना हुआ था। उसी दिन राज्यपाल ने संविधान की पंचम अनुसूची के पैरा 5(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एक अधिसूचना जारी की और इस विनियम में अवर धारकों और अभिधारियों को अभिधृति प्रदत्त की और सम्पदा के धारकों के मनमाने अधिकार समाप्त कर दिए। परिणामस्वरूप प्रथम प्रत्यर्थी के अभिधारी उसके द्वारा धारित भूमियों के अधिभोगी बन गए और प्रथम प्रत्यर्थी को इनके सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया और वह अपने अवर धारकों से कुछ भी प्राप्त करने का हकदार न रहा। उसके अभिधारियों से उसके द्वारा वसूलनीय क्रय मूल्य को लगान के छः गुना

से घटा कर स्थायी अभिधारियों के मामले में निर्धारण के तीन गुना और अन्य अभिधारियों के मामले में छः गुना कर दिया गया। इस प्रकार से प्रथम प्रत्यर्थी को 24 फरवरी, 1962 की अधिसूचना और विनियम ने जो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए थे गंभीर रूप से प्रभावित किया और इसलिए उसने उनकी सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अधिसूचना और विनियम को अभिखंडित कर दिया कि वे अनुच्छेद 19(1) (च) के अधीन प्रथम प्रत्यर्थी के मूल अधिकार का अतिक्रमण करते थे। अपील मंजूर करते हुए और उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए,

अभिनिर्धारित—उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद और जबकि अपील इस न्यायालय में लम्बित थी संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा नवम् अनुसूची संशोधित कर दी गई थी जिसमें पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 को सम्मिलित कर लिया गया था। सम्मिलित कर लिए जाने का प्रभाव यह था कि पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 को इस आधार पर चुनौती दिए जाने से मुक्त कर दिया गया था कि वह संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी अधिकार से असंगत है या उन्हें छीनता है या उन्हें लघुकृत करता है और इसलिए उसकी सांविधानिक विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 19(1)(च) का अतिक्रमण करता है। मूल अधिकारों के अतिक्रमण के आधार पर अभिकथित असांविधानिकता के सम्बन्ध में पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्पादन आदि) विनियम, 1961 त्रुटि को, यदि कोई हो अनुच्छेद 31-ख और नवम अनुसूची द्वारा ठीक कर दिया गया था और अनुच्छेद 31-ख के अभिव्यक्त शब्दों द्वारा वह त्रुटि उस तारीख से भूतलक्षी प्रवर्तन से दूर हो गई थी जिस तारीख को राज्यपाल द्वारा विनियम अधिनियमित किया गया था। यह विनियम, चाहे वह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) के अतिक्रमण के कारण उस समय अप्रवृत्त या शून्य था जबकि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था, फिर भी उसका अपने अधिनियमन की तारीख नवम् अनुसूची में सम्मिलित कर लिए जाने के कारण पूर्ण बल और प्रभाव है। यदि पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 किसी भी प्रकार से सांविधानिक विकार से युक्त

1978(2) eILR(PAT) SC 319

है तो 24 फरवरी, 1962 वाली अधिसूचना को इस आधार पर सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अविधिमान्य है क्योंकि प्रथम प्रत्यर्थी के किसी अधिकार को छीनने की बजाए उससे उसके अधिभोगी के रूप में मूल अधिकारों को प्रत्यावर्तित कर दिया । यह उसके फायदे के लिए न कि हानि के लिए विधायी अध्युपाय था। (पैरा 4)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1972] (1972) 1 एस० सी० आर० 1055–
[1972] 1 उम० नि० प० नि० सा० 50 :
जगन्नाथ बनाम **अथाराईज्ड आफिसर, लैण्ड रिफार्म्स**
(Jaggannath *Vs.* Authorised Officer Land Reforms) 4

सिविल अपीली अधिकारिता : 1969 की सिविल अपील संख्या 2212.

1964 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 1452 में मुम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 1,2 और 3 अप्रैल, 1968 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री एच० आर० गोखले, ए० आर० अन्तुले और एम० एन० श्रॉफ
प्रत्यार्थी संख्या 1 की ओर से	सर्वश्री आर० पी० भट्ट, बी० आर० अग्रवाल और पी० बी० अग्रवाल
प्रत्यार्थी संख्या 6-9 की ओर से	श्री वी० एन० गनपुले
प्रत्यर्थी संख्या 10-13 की ओर से	सर्वश्री पी० पी० राव और ए० के० गांगुली
मध्यपेक्षी की ओर से	श्री टी० वी० एस० नरसिम्हाचारी

अभिलेख अधिवक्ता

अपीलार्थी की ओर से	श्री एम० एन० श्रॉफ
प्रत्यार्थी संख्या 1 की ओर से	मैसर्स गगरत एण्ड कम्पनी
प्रत्यर्थी संख्या 6-9 की ओर से	श्री वी० एन० गनपुले
प्रत्यर्थी संख्या 10-13 की ओर से	श्री ए० के० गांगुली
मध्यक्षेपी की ओर से	श्री टी० वी० एस० नरसिम्हाचारी

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति पी० एन० भगवती ने दिया।

न्यायाधिपति भगवती—

प्रमाणपत्र लेकर यह अपील मुम्बई उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ के उस निर्णय के विरुद्ध की गई है, जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् संविधान की पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (2) के अधीन महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए पश्चिमी खानदेश मेहवासी (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 और संविधान की पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा जारी की गई तारीख 24 फरवरी, 1962 की अधिसूचना को अविधिमान्य कर दिया गया था। ये दो विधायी अध्युपाय इस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिए गए थे कि वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) के अधीन प्रथम प्रत्यर्थी के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते थे। यह प्रश्न कि क्या इन दो विधायी अध्युपायों के परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) के अधीन प्रथम प्रत्यर्थी के मूल अधिकारों का अतिलंघन हुआ था एक विवादास्पद विवाद्यक खड़ा कर सकता था किन्तु इस अपील में इस पर विचार करना अनावश्यक है क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 को संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा नवीं अनुसूची में मद संख्या 155 के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। हम, जहां तक इस बात को समझने के लिए आवश्यक हैं कि किस प्रकार से तारीख 24 फरवरी, 1962 की अधिसूचना और पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन आदि) विनियम, 1961 की विधिमान्यता का प्रश्न न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है, तथ्यों को संक्षेप में बतलाएंगे।

2. पश्चिमी खानदेश जिले में मेहवासी सम्पदा नामक कबाइली मुखियों की छः सम्पदाएं सभी तात्विक समयों में थीं। यह मेहवासी सम्पदाएं संविधान की पांचवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 के अधीन "अनुसूचित क्षेत्र" थी और गवर्नमेंण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 91 के अधीन "भागतः अपवर्जित क्षेत्र" थी और प्रथम प्रत्यर्थी

काथी सम्पदा नामक ऐसी ही एक सम्पदा का स्वामी था जिसमें महाराष्ट्र राज्य में 99 गांव थे। मुम्बई के राज्यपाल ने गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 92 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए वैस्ट खानदेश मेहवासी एस्टेट रेगूलेशन, 1949 नामक एक विनियम बनाया गया था जो प्रथम प्रत्यर्थी से सम्बन्धित काथी सम्पदा सहित मेहवासी सम्पदाओं को लागू होता था। बाम्बे लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1879 इस विनियम की धारा 3 के द्वारा कतिपय उपान्तरणों के अधीन मेहवासी सम्पदाओं को लागू था और धारा 4 का प्रभाव केन्द्र या राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित सभी अन्य अधिनियमों को मेहवासी सम्पदाओं को लागू करना था, जो पश्चिमी खानदेश जिले के अन्य भागों में प्रवृत्त थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभिधृति अधिनियम कहा गया है) भी सम्मिलित था। बाम्बे लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1879 के मेहवासी सम्पदाओं पर लागू होने का परिणाम यह था कि प्रथम प्रत्यर्थी, जो काथी सम्पदा का धारक था, उस सम्पदा की कृषि भूमियों का अधिभोगी हो गया और जो व्यक्ति उसके अधीन इन भूमियों पर खेती कर रहे थे उसके अभिधारी बन गए और अभिधृति अधिनियम, 1948 के लागू होने के कारण वह अधिनियम प्रथम प्रत्यर्थी और अभिधारियों के बीच सम्बन्धों को प्रशासित करता था। अभिधृति अधिनियम, 1948 को 1956 के मुम्बई अधिनियम संख्या 13 द्वारा संशोधित किया गया था जो 1 अगस्त, 1956 को प्रवृत्त हुआ और धारा 32–ज(2) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में मुम्बई सरकार ने 31 मार्च, 1957 का एक आदेश जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साधारण अर्थात् गैर-अस्थायी अभिधारियों द्वारा मेहवासी सम्पदाओं के गांवों में खेती की जाने वाली भूमियों के समझे जाने वाले क्रय के लिए संदेय अधिकतम क्रय मूल्य निश्चित किया। अभिधृति अधिनियम की धारा 32 से 32-द और 31 मार्च, 1957 के आदेश का संयुक्त प्रभाव यह था कि प्रथम प्रत्यर्थी के अभिधारी 1 अप्रैल, 1957 को उनके द्वारा धारित भूमियों के समझे जाने वाले क्रेता हो गए और प्रथम प्रत्यर्थी स्वामी नहीं रहा और अपने स्थायी अभिधारियों से भूमियों के लगान के 6 गुने के बराबर क्रय मूल्य और साधारण अभिधारियों से निर्धारण के 20 से 80 गुने के बीच क्रय मूल्य प्राप्त करने का हकदार हो गया।

3. इसके पश्चात् 24 फरवरी, 1962 का महाराष्ट्र के राज्यपाल ने संविधान की पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उपपैरा (1) के अधीन एक अधिसूचना जारी की और इस अधिसूचना के द्वारा राज्यपाल ने अपने प्रसाद से यह निदेश किया कि मुम्बई अधिनियम, 1956 की संख्या 13, जिसने अभिधृति अधिनियम, 1948 को संशोधित किया था, मेहवासी सम्पदाओं को लागू होगा और अभिधृति अधिनियम, 1948 में धारा 88-घ भी जोड़ दिया जिसमें इस बात का उपबन्ध था कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्यथा उपबंधित के सिवाए धारा 32 से 32-द की कोई बात मेहवासी भूमि को लागू नहीं होगी और इन निदेशों को 1 अगस्त, 1956 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया इस अधिसूचना का प्रभाव उस सम्बन्ध को पुन:स्थापित करना था जो प्रथम प्रत्यर्थी और इसके अभिधारियों के बीच 1 अगस्त, 1957 से अव्यवस्थित पूर्व अस्तित्व में था जिससे कि अभिधारी उनके द्वारा धारित भूमियों के समझे जाने वाले क्रेता नहीं बने और प्रथम प्रत्यर्थी ऐसी भूमियों का स्वामी रहना समाप्त नहीं हुआ। मुम्बई के राज्यपाल ने उसी दिन अर्थात् 24 फरवरी, 1962 को राष्ट्रपति की अनुमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् संविधान की पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उपपैरा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन आदि) विनियम, 1961 जारी कर दिया। संकल्प ने अवर धारकों और अभिधारियों को अधिभोग प्रदत्त किए और मेहवासी सम्पदाओं के धारकों के स्वामित्व अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि प्रथम प्रत्यर्थी के अभिधारी उनके द्वारा धारित भूमियों के अधिभोगी बन गए और प्रथम प्रत्यर्थी को उसके सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया और वह अवर धारकों से कुछ भी प्राप्त करने का हकदार नहीं रहा। अपने स्थायी अभिधारियों से वसूलनीय क्रेता मूल्य किराए के छह गुना से घटा कर निर्धारण के तीन गुना कर दिया गया और उसके अन्य अभिधारियों से वह केवल निर्धारण के 20 से 80 गुना के स्थान पर निर्धारण के छह गुना किराया मूल्य ही वसूल करने का हकदार रह गया। प्रथम प्रत्यर्थी तारीख 24 फरवरी, 1962 की अधिसूचना और पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ और इसलिए उसने इन दो विधायनी अभ्युपायों की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय

1978(2) eILR(PAT) SC 319

में पिटीशन फाइल कर दिया। जैसा कि हमने पहले बताया है उच्च न्यायालय ने इन दो विधानों को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि उन्होंने अनुच्छेद 19(1)(च) के अधीन प्रथम प्रत्यर्थी के मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया हैं और वे संविधान के अनुच्छेद 31-क द्वारा संरक्षित नहीं थे। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय से प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् राज्य ने फाइल की गई प्रस्तुत अपील में आक्षेपित किया है।

4. अब ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद और जबकि अपील इस न्यायालय में लम्बित थी संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा नवम अनुसूची संशोधित कर दी गई थी जिसमें पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन आदि) विनियम, 1961 को सम्मिलित कर लिया गया था। सम्मिलित कर लिए जाने का प्रभाव यह था कि पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन आदि) विनियम, 1961 को इस आधार पर चुनौती दिए जाने से मुक्त कर दिया गया था कि वह संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी अधिकार से असंगत है या उन्हें छीनता था या उन्हें लघुकृत करता है और इसलिए उसकी सांविधानिक विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 19(1)(च) का अतिक्रमण करता है। मूल अधिकारों के अतिक्रमण के आधार पर अभिकथित असांविधानिकता के सम्बन्ध में पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन आदि) विनियम, 1916 त्रुटि को, यदि कोई हो अनुच्छेद 31-ख और नवम् अनुसूची द्वारा ठीक कर दिया गया था और अनुच्छेद 31-ख के अभिव्यक्त शब्दों द्वारा वह त्रुटि उस तारीख से भूतलक्षी प्रवर्तन से दूर हो गई थी जिस तारीख को राज्यपाल द्वारा विनियम अधिनियमित किया गया था। वह विनियम, वह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) के अतिक्रमण के कारण चाहे वह उस समय अप्रवृत्त था शून्य था जबकि वह राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था, फिर भी उसका अपने अधिनियमन की तारीख से नवम अनुसूची में सम्मिलित कर लिए जाने के कारण पूर्ण बल और प्रभाव है। (देखिये **जगन्नाथ बनाम आथोराइज्ड आफिसर लैण्ड रिफार्म्स**)[1] और तदनुसार

[1] (1972) 1 एस० सी० आर० 1055=[1972] 1 उम० नि० प० नि० एस० 50.

यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह सांविधानिक रूप से विधिमान्य है। अब प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से इस बात पर विवाद नहीं किया गया था कि यदि पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 किसी भी प्रकार के सांविधानिक विकार से मुक्त है तो 24 फरवरी, 1962 वाली अधिसूचना को इस आधार पर सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अविधिमान्य है क्योंकि प्रथम प्रत्यर्थी के किसी अधिकार को छीनने के बजाए इससे उसके अधिभोगी के रूप में मूल अधिकारों को प्रत्यावर्तित कर दिया। यह उसके फायदे के लिए न कि हानि के लिए विधायी अध्युपाय था। अतः तारीख 24 फरवरी, 1962 वाली अधिसूचना की सांविधानिक विधिमान्यता को दी गई चुनौती को भी नामंजूर किया जाना चाहिए।

5. तदनुसार, हम अपील मंजूर करते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं और 24 फरवरी, 1962 के अधिसूचना और पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 को सांविधानिक रूप से विधिमान्य घोषित करते हैं। खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

6. हमें प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउन्सेल ने यह बताया है कि उसकी सम्पदा की भूमियों को उसके धन कर के निर्धारण में सम्मिलित कर लिया गया है और उसकी आय का निर्धारण भी आय कर के रूप में कर लिया गया है। हम यह नहीं जानते कि कहां तक यह सही है किन्तु यदि ऐसी बात है तो केन्द्रीय सरकार सहानुभूतिपूर्वक इस बात पर विचार करेगी कि क्या प्रथम प्रत्यर्थी से पश्चिमी खानदेश मेहवासी सम्पदा (साम्पत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 के प्रवृत्त होने की तारीख से या उसके पश्चात् प्रत्यर्थी से वसूल किया गया कोई ऐसा कर औचित्य की दृष्टि से उसे वापस कर दिया जाए।

अपील मंजूर की गई।

स०/दीन